मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2513
15.12.2025 को उत्तर के लिए

घड़ियाल अभयारण्य

2513. डॉ. राजेश मिश्रा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने घड़ियाल अभयारण्य हैं और उनमें घड़ियालों की लिंग-वार संख्या क्या है;
(ख) मध्य प्रदेश राज्य में घड़ियाल परियोजनाओं की संख्या सहित वार्षिक प्रजनन दर क्या है;
(ग) सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रोजेक्ट घड़ियाल की स्थिति सहित नर/मादा घड़ियाल का अनुपात, उक्त परियोजना की प्रारंभ/क्रियान्वयन तिथि और परियोजना के प्रारंभ के बाद घड़ियाल जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है; और
(घ) उक्त स्थलों पर प्रतिवर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों सहित संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में) तथा मध्य प्रदेश राज्य में सोन घड़ियाल अभयारण्य और केन घड़ियाल अभयारण्य घड़ियाल के लिए पर्यावास हैं। इसके अलावा, घड़ियाल कतर्नियाघाट और हस्तिनापुर अभयारण्य (उत्तर प्रदेश), कॉर्बेट नेशनल पार्क (उत्तराखंड), सतकोसिया गोर्ज अभयारण्य (ओडिशा), गंडक नदी, घाघरा नदी आदि में पाए जाते हैं।

मंत्रालय बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, डॉल्फिन जैसी प्रमुख प्रजातियों की संख्याओं का आकलन करने का कार्य करता है। अन्य जंगली जानवरों की संख्या का आकलन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है और मंत्रालय के स्तर पर इनसे संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं।

(ख) से (घ) सोन घड़ियाल अभयारण्य (सीधी जिला) और केन घड़ियाल अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।

वन्यजीवों और इसके पर्यावास का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। दिनांक 03.03.2025 को आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान, घड़ियालों के संरक्षण और उनके अस्तित्व के लिए खतरों से निपटने के लिए एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद, घड़ियाल को केंद्र प्रायोजित योजना - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम घटक के तहत भी शामिल किया गया है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक प्रचालन योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए कार्यकलापों सहित वन्यजीवों और उसके पर्यावासों के संरक्षण, संरक्षण और प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****